कला संस्कृति एवं युवा विभाग

बिहार सरकार

द्वारा

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देने हेतु

मार्ग-दर्शक सिद्धांत

बिहार ललित कला अकादमी के सौजन्य से

कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देने हेतु

मार्ग-दर्शक सिद्धांत

१. अनुदान के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए ।

२. संस्थाओं को कला, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए और उनकी नियमावली के उद्देश्य में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

३. कला और संस्कृति के क्षेत्र में शोध, सर्वेक्षण, प्रकाशन, आलेखन, कार्यक्रमों के आयोजन, सम्मेलन, सेमिनार तथा संगोष्ठियों से संबंधित परियोजना पर ही अनुदान दिया जायेगा ।

४. जिन स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को भूमि और भवन है, वैसी संस्थाओं को मूलभूत संरचना (यथा जीर्णोद्धार, निर्माण) के लिए अनुदान स्वीकृत किया जायेगा । इसमें भूखंड या भवन से संबंधित सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । निर्माण कार्य/मरम्मति/जीर्णोद्धार के लिए प्राक्कलन एवं नक्शा की प्रति भी आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करानी होगी ।

५. अनुदान हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को आवेदन पत्र के साथ संस्था का सत्यापित संविधान, नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन (छायाचित्रों और समाचार पत्रों की कतरनों के साथ), परियोजना का ब्यौरा, पिछले वर्ष के अंकेक्षण की प्रति तथा पूर्व में प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

६. किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह द्वारा संचालित कई संस्थाओं को किसी भी हालत में एक साथ अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

७. किसी संस्था को एक ही प्रयोजन के लिए केंद्र या राज्य किसी एक ही स्थान से अनुदान देय होगा ।

८. अनुदान के लिए आवेदन करने वाली संस्था को पिछले तीन वर्षों (चालू वर्ष के साथ) में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों और उनके उद्देश्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना होगा ।

९. संस्थाओं को अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा गठित अनुदान-समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी ।

१०. लोक कला और लोक संस्कृति से जुड़े गाँव-गँवई के कलाकारों/संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी ।

११. आवेदन पत्र जिलाधिकारी/उपायुक्त/उप-विकास आयुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/बिहार संगीत नाटक अकादमी/बिहार ललित कला अकादमी/राजकीय छऊ नृत्य केंद्र के पदाधिकारियों द्वारा अग्रसारित एवं अनुशंसित होना अनिवार्य चाहिए ।

१२. ऐसी संस्थाओं को जिनका उद्देश्य व्यवसायिक नहीं हो, अनुदान देय होगा ।

राज्य सरकार की योजनान्तर्गत राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को सहायक अनुदान हेतु आवेदन का प्रपत्र

प्रपत्र - 1

1. संस्था/संगठन का नाम :
   (पूर्ण पता सहित)

2. स्थापना की तिथि :

3. निबंधन संख्या एवं वर्ष :
   (सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अन्तर्गत,
   प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

4. संस्था का स्वरूप :
   (शैक्षणिक, कलात्मक, शोध)

5. अनुदान राशि किस कार्य पर व्यय की जायगी :
   (परियोजना की पूर्ण विवरणी अलग से संलग्न करें)

6. प्रस्तावित योजना हेतु कितनी राशि याचित है :
   (बजट संलग्न करें तथा स्पष्ट करें कि संस्था द्वारा
   याचित राशि का कितना अंश वहन किया जायगा)

7. क्या संस्था को विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार
   अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ है ? :
   (यदि हाँ तो उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण
   प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)

8. संस्था द्वारा विगत दो वर्षों में किए गए कार्यक्रमों की पूर्ण सूचना :
   (अखबारी कतरन/फोटोग्राफ/ऑडियो/वीडियो कैसेट संलग्न करें)

9. संस्था का खाता संख्या :
   (बैंक/डाकघर का खाता संख्या पता सहित)

दिनांक
स्थान

संस्था प्रधान का हस्ताक्षर
एवं मुहर

प्रपत्र - ६

सांस्कृतिक संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का जाँच प्रतिवेदन

1. संस्था का नाम ....

2. जाँच की तिथि ....

3. संस्था का स्वरूप ....

4. जाँच पदाधिकारी का
नाम एवं पदनाम ....

5. जाँच के क्रम में
प्राप्त अभिलेखों ....
की स्थिति

6. अभ्युक्ति/अनुशंसा ....

दिनांक
स्थान

जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम, पदनाम एवं मुहर

प्रपत्र - ८

सांस्कृतिक संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का जाँच प्रतिवेदन

1. संस्था का नाम .....

2. जाँच की तिथि .....

3. संस्था का स्वरूप .....

4. जाँच पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम .....

5. जाँच के क्रम में प्राप्त अभिलेखों की स्थिति .....

6. अभ्युक्ति/अनुशंसा .....

दिनांक :
स्थान :

जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम, पदनाम एवं मुहर